

## कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज।

(खनन अनुभाग)

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना  
सार्वजनिक विज्ञप्ति हेतु

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कासगंज में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-715/86-2017-57(स)/2017 दिनांक 22.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार 6 माह की अल्प अवधि के लिये ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 15.05.2017 के अपरान्ह 06:00 बजे तक क्षेत्रों के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

## क्षेत्र का विवरण:-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमायें				खनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित खनिज का भण्डार (घन मी०में)
					उत्तर	दक्षिण	पूरव	पश्चिम		
01	पटियाली	कादरगंज पुख्ता	436ड व 437	6.08	खेत वृज किशोर	आम रास्ता	गाटा सं० 434	गाटा सं० 438 गंगाप्रसाद	सा० बालू	39000.00
02	पटियाली	पनसोती	132/26	10	गाटा सं० 131	गंगा रेता की भूमि	ग्राम जिलौल की सीमा	गाटा सं० 132 काश्तकारों की भूमि	सा० बालू	50000.00
03	सहावर	चंदवा खाम	4/32	10	गाटा सं० 3	गाटा सं० 5	मनिका पुर खाम सीमा	सीमा कछला बदाँयू	सा० बालू	60000.00
04	कासगंज	इकलहरा खाम	01स	10	जिला बदाँयू	गाटा सं० 29	गाटा सं० 01स	गाटा सं० 01स	सा० बालू	50000.00

## महत्वपूर्ण तिथियाँ:-

क्रम	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा आमंत्रण प्रकाशन तिथि	06.05.2017	10.00 ए०एम०
2	निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर जमा(अपलोड) करने की प्रारम्भ तिथि	06.05.2017	10.00 ए०एम०
3	निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर जमा(अपलोड) करने की अन्तिम तिथि	15.05.2017	06.00 पी०एम०
4	निविदा खोलने की तिथि	16.05.2017	3.00 पी०एम०, स्थान कलेक्ट्रेट, कासगंज

नोट :- खनिज के प्रति घन मी० के लिये दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिये नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर 65.00रु० से कम नहीं होगी।

निविदा से सम्बन्धित अन्य सूचनायें/जानकारी खनिज अनुभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, कासगंज से कार्य दिवसों में तथा ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है।

जिलाधिकारी,  
कासगंज।

संख्या - 988 / डी०एल०आर०सी०  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 03 मई, 2017

- 1- डी०आई०ओ०, एनआईसी, कलेक्ट्रेट, कासगंज को इस निर्देश के साथ कि जिले के एनआईसी पोर्टल उक्त सूचना को प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- जिला सूचना अधिकारी कासगंज को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
- 3- नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट कासगंज मुख्य नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी,  
कासगंज।